मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"
वल्लभ भवन, भोपाल—462004

क्र. सी-3/23/3/1/97 भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 1997

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषय.—अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने के पश्चात् सेवाकाल में वृद्धि/पुनर्नियुक्ति.

अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के पश्चात् शासकीय सेवकों को सेवा-वृद्धि/पुनर्नियुक्ति देने के संबंध में विस्तृत निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-21/86/3/1, दिनांक 31 अक्टूबर 1988 द्वारा जारी किये गये हैं. इन निर्देशों की निरन्तरता में कुछ अन्य निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-2/10/88/3/49, दिनांक 22 अगस्त 1988, क्रमांक सी-3-1/89/3/49, दिनांक 9 जनवरी 1989, सी-3-5/90/3/49, दिनांक 19 मार्च 1990, क्रमांक सी-3-8/91/3/1, दिनांक 29 जुलाई 1991, क्रमांक सी-3-13/13/1/93, दिनांक 13 मई 1993 तथा क्रमांक सी-3-11/94/3/1, दिनांक 9 दिसम्बर 1994 द्वारा जारी किये गये हैं. इन निर्देशों के अनुसार शासकीय कर्मचारी तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मंडलों इत्यादि के कर्मचारियों की सेवा वृद्धि/पुनर्नियुक्ति के संबंध में यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि ऐसे प्रकरण प्रशासकीय विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की अवधि के तीन माह पूर्व भेजा जायेगा. प्रत्येक प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में संक्षेपिका भेजी जायेगी, जिसमें संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों की कार्यक्षमता, स्वास्थ्य तथा उसे शासकीय सेवा में निरन्तर रखने की आवश्यकता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी. इस प्रकार के सभी प्रकरण उपरोक्त निर्देशों के अन्तर्गत गठित छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे. छानबीन समिति की अनुशंसा माननीय मुख्य मंत्रीजी के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत की जायेगी और उसके निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी.

2. सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति के उपरोक्त निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया को पूर्ण किये बिना किसी भी शासकीय सेवक को सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति नहीं दी जायेगी. स्पष्ट है कि इस कार्यवाही के पूर्ण होने से पहले यदि किसी शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि आ जाती है तो उसे सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा. बाद में छानबीन समिति की अनुशंसा पर माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी.

3. अनेक विभागों ने यह प्रश्न किया है कि ऐसे प्रकरणों में क्या कार्यवाही की जाय. जिनमें किसी शासकीय सेवक की सेवा-निवृत्ति के पूर्व माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा आदेश दिये जाते हैं कि उसे 6 माह अथवा एक वर्ष की सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति दी जाय और सेवानिवृत्ति के दिनांक को कार्यमुक्त न किया जाय. इस संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाना चाहिए :—

4. यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिया है कि सेवा-निवृत्ति के दिनांक को किसी कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाय अथवा उसे सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति दी जाय तो संबंधित शासकीय सेवक सेवा निवृत्ति के दिन कार्यमुक्त नहीं किया जाय और उसका प्रकरण पूर्ण जानकारी सहित निर्धारित प्रपत्र में संक्षेपिका के साथ एक सप्ताह के अन्दर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाय. ऐसा अनेक बार देखने में आया है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के आदेश के पालन में विभाग द्वारा संबंधित शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति के दिनांक को कार्यमुक्त नहीं किया गया और उसका प्रकरण छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग को 6 महीने या एक वर्ष बाद भेजा गया. ऐसी स्थिति में कई बार अनावश्यक रूप से कार्योत्तर स्वीकृतियां देना आवश्यक हो गया. सामान्यतः ऐसे प्रकरणों में माननीय मुख्य मंत्रीजी के आदेश संबंधित शासकीय सेवक की सेवा-निवृत्ति के काफी दिन पहले हो जाते हैं और विभाग के पास पर्याप्त समय रहता है कि सेवानिवृत्ति के पूर्व छानबीन समिति की अनुशंसा प्राप्त कर ली जाय. फिर भी प्रकरण सेवा निवृत्ति की तिथि के बाद प्रस्तुत किये जाते हैं. इस प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं

होनी चाहिए. यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश सेवा-निवृत्ति के थोड़े समय पूर्व ही प्राप्त हो तो भी संबंधित शासकीय सेवक का प्रकरण तुरन्त (एक सप्ताह के अन्दर) सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए. ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा शासकीय सेवक को कार्यमुक्त नहीं किया जाय, किन्तु सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति के आदेश छानबीन समिति की अनुशंसा पर माननीय मुख्य मंत्रीजी के आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही पारित किये जाए. यदि त्वरित कार्यवाही की गई हो तो अधिकांश प्रकरणों में सेवानिवृत्ति के पूर्व ही प्रकरण पर छानबीन समिति की अनुशंसा के उपरान्त माननीय मुख्यमंत्रीजी के निर्देश प्राप्त हो सकेंगे. यदि ऐसा न हो तो भी कार्योत्तर स्वीकृति की अवधि सीमित रखी जा सकेगी.

हस्ता./-
(आलोक श्रीवास्तव)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी.-3-23/3/1/97

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 1997

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
3. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजभवन, भोपाल.
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
4. माननीय मुख्यमंत्रीजी/उप मुख्यमंत्रीजी/मंत्रीगण एवं राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल.
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
10. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल.
11. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.
12. निर्देशक प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.